- संघीय संतुलन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्यसभा की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाना वांछनीय है। राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या में भिन्नता के बावजूद समान स्थान प्रदान करने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।
- **कुलदीप नैय्यर बनाम भारत संघ (2006)** वाद में राज्यसभा की संघीय व्यवस्था में राज्यों के सदन के रूप में भूमिका को समाप्त करने का निर्णय दोषपूर्ण है और समीक्षा योग्य है।
- इस सन्दर्भ में, संसद को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के खंड 3 को पुनर्स्थापित करना चाहिए क्योंकि यह मूल रूप से साझेदारी युक्त शासन में संघीय संतुलन को स्थापित करता है।
- राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उस राज्य की भूमि से वास्तविक संबद्धता होनी चाहिए जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था (2003 में संशोधन के माध्यम से यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी)। यह प्रावधान इसकी अनुभूति कराने के लिए आवश्यक हैं, कि राज्य राष्ट्रीय नीति-निर्माण प्रक्रिया एवं शासन में समान भागीदार हैं।

- **अनुच्छेद 246 (3) और अनुच्छेद 162 के अनुच्छेद 243G एवं 243W के साथ संबंधों के संदर्भ में**
  - अनुच्छेद 243G (पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व) और 243W (नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व) का निर्वचन कई बार इस प्रकार किया जाता है जिससे यह अर्थ निकलता है कि स्थानीय निकायों की शक्तियों और कार्यो का हस्तांतरण राज्यों के विवेकाधिकार का विषय है।
  - इस प्रकार के निर्वचन, इस संदर्भ में किये गए संविधान संशोधन तथा संपूर्ण उद्देश्य को निरर्थक सिद्ध कर देते हैं।
  - यद्यपि यह राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है कि किन विषयों से संबंधित शक्तियों और उत्तरदायित्वों को वे हस्तांतरित करना चाहते हैं। किन्तु, उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि वे किसी भी विषय तथा इससे संबंधित शक्तियों और कार्यो का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण न करे। स्थानीय निकायों को "स्व-शासन" की संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है। किन्तु, संविधान में इनके अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
  - स्थानीय निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण का दायरा उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अन्यथा विकेंद्रीकृत शासन की अवधारणा अनिश्चित काल तक वास्तविकता में रूपांतरित नहीं हो पायेगी।
  - यह दृष्टिकोण "समनुषंगिता (subsidiarity) के सिद्धांत" पर आधारित होनी चाहिए जो वास्तव में संविधान संशोधन की योजना में निहित है। राज्य सरकार को स्थानीय स्वशासन से संबंधित नीतिगत मामलों तक ही अपने आप को सीमित कर लेना चाहिए।
  - अनुच्छेद 246(3) (राज्य-सूची में प्रगणित विषय पर राज्यों की विधायी शक्ति) और 162 (राज्य-सूची में प्रगणित विषय पर राज्यों की कार्यकारी शक्ति) का 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के आलोक में निर्वचन करना होगा।
  - इसी रूप में **पंचायत और नगरपालिका** जैसी संस्थाओं को **स्वशासन की संस्थाओं के रूप** में कार्य करने का उचित अर्थ और अभिव्यक्ति प्रदान की जा सकेगी।
- **न्यायिक बजट में केंद्र-राज्य हिस्सेदारी पर सुझाव देने हेतु न्यायिक परिषदों के संबंध में**
  - न्याय व्यवस्था अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके, यह सुनिश्चित करना संघ और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जहां उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय क्रमशः संघ और राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं, वहीं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संविधान द्वारा ऐसी कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं प्रदान की गयी है।

VISION IAS